

उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति कटवारिया सराय, नई दिल्ली

(कार्य संचालन) नियम, 2024

विषय-सूची

अध्याय	-l: सामान्यError!	Bookmark not defined.
1.	संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ Error!	Bookmark not defined.
2.	परिभाषाएँ	4
3.	एनआरपीसी के कार्य	6
4.	एनआरपीसी का सचिवालय	7
5.	आरपीसी के सचिवालय को डेटा/सूचना प्रस्तुत करना	9
6.	एनआरपीसी के अध्यक्ष	10
7.	एनआरपीसी की वेबसाइट	10
अध्याय	-II: एनआरपीसी बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया	11
8.	एनआरपीसी बैठक का स्थान और तारीखError!	Bookmark not defined.
9.	बैठकों की आवधिकताError!	Bookmark not defined.
10.	समिति की बैठकों और एजेंडे के लिए सूचना	11
11.	किसी सदस्य को बैठक की सूचना न मिलने का प्रभाव	12
12.	बैठक को रद्द करना/पुनर्निर्धारित करना	12
13.	एनआरपीसी बैठक का कोरम	12
14.	पीठासीन प्राधिकारी	12
15.	कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग	13
16.	कार्यवृत्त की पुष्टिError!	Bookmark not defined.
अध्याय	-III: एनआरपीसी की उप-समितियाँ	13
17.	एनआरपीसी की उप-समितियों का गठन	14
18.	तकनीकी समन्वय उप-समिति (टीसीसी)	14
19.	संचालन समन्वय उप-समिति (ओसीसी)	15
20.	वाणिज्यिक उप-समिति (सीसी):	16
21.	संरक्षण उप-समिति (पीसी)	17
22.	प्रणाली अध्ययन उप-समिति:	18
23.	एलजीबीआर उप-समितिError!	Bookmark not defined.
24.	दूरसंचार, स्काडा और टेलीमेट्री (टीईएसटी) उप-समिति	19
अध्याय	-IV: एनआरपीसी की उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया	20
25. defi	उप-समिति की बैठकों का आयोजन, नोटिस, एजेंडा और उसके कार्यवृत्त जारी करना ned.	Error! Bookmark not

27.	एनआरपीसी की अंतर्निहित शक्ति की बचतError! Bookmark not defin	ed.
अध्यायः	-VII: विविध	25
26.	एनआरपीसी द्वारा रिपोर्ट	24
अध्याय:	-VI: रिपोर्ट	24
अध्यायः	-V: एनआरपीसी निधि का संचालन	22

अध्याय-|: सामान्य

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
- 1.1 भारत के राजपत्र में प्रकाशित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2, उपधारा 55 के प्रावधान के तहत संकल्प एफ.सं. 23/21/2021-आर एंड आर दिनांक 3 दिसंबर 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति की स्थापना की गई है, जिसे एनआरपीसी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लददाख शामिल हैं।
- 1.2 3 दिसंबर 2021 के उपरोक्त संकल्प के खंड-9 के अनुसार, एनआरपीसी निम्नलिखित नियम बनाती है जिन्हें "उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (व्यवसाय का संचालन) नियम, 2024" कहा जा सकता है।
- 1.3 ये नियम एनआरपीसी द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से लागू होंगे और तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अन्यथा संशोधित न किया जाए।
- 2. परिभाषाएँ
- 2.1 इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
 - (क) अधिनियम का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 है।
 - (ख) 'एजेंडा' का अर्थ है समिति या उप-समिति की बैठक में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य की सूची।
 - (ग) 'प्राधिकरण' का अर्थ है केंद्रीय विद्य्त प्राधिकरण।
 - (घ) 'वाणिज्यिक उप-समिति (सीएससी)' का अर्थ है वाणिज्यिक संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति द्वारा गठित उप-समिति।
 - (ङ) 'कमीशन' का अर्थ है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग।
 - (च) सिमिति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 की उपधारा (55) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित उत्तर क्षेत्रीय विद्युत सिमिति अभिप्रेत है।
 - (छ)'सरकारी संकल्प' का अर्थ है संकल्प संख्या 23/21/2021-R&R दिनांक 3 दिसंबर 2021, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित और उस पर संशोधन (संशोधनों)।

- (ज) 'आईईजीसी'का अर्थ है भारतीय विद्युत ग्रिड कोड, जिसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- (झ) एलजीबीआर उप-समिति का अर्थ है समिति द्वारा गठित एक उप-समिति
- i. उत्पादन स्टेशनों की वार्षिक बंदी योजना को अंतिम रूप देना
- ii. अगले वित्त वर्ष के लिए प्रत्याशित बिजली आपूर्ति की स्थिति तैयार करना और
- iii. (i) & (ii) की आवधिक समीक्षा के लिए।
 - (ञ)'बैठक' का अर्थ है सदस्य सचिव, एनआरपीसी सचिवालय द्वारा बुलाई गई समिति/उप-समिति की बैठक या सचिवालय प्रमुख की अनुपस्थिति में बैठक बुलाने के लिए अधिकृत कोई सदस्य।
 - (ट) 'सदस्य' का अर्थ है एनआरपीसी की स्थापना पर भारत सरकार के दिनांक 3 दिसंबर 2021 के संकल्प के अन्सार और समय-समय पर संशोधित सदस्य।
 - (ठ) 'एनएलडीसी' का अर्थ है राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र।
 - (ड) 'एनआरएलडीसी' का अर्थ है उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र
 - (ढ) 'परिचालन समन्वय उप-समिति (ओसीसी)' का अर्थ है क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एनआरपीसी द्वारा गठित एक उप-समिति।
 - (ण) 'संरक्षण उप-समिति (पीएससी) का अर्थ है समिति द्वारा गठित एक उप-समिति जो सभी ऊर्जा प्रणाली संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
 - (त) 'नवीकरणीय ऊर्जा उप-समिति (आरईसी) का अर्थ है समिति द्वारा गठित एक उप-समिति जो सभी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है।
 - (थ)'नियम' का अर्थ है उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (कार्य संचालन) नियम यथा संशोधित ।
 - (द) 'एसएलडीसी का अर्थ है राज्य भार प्रेषण केन्द्र।
 - (ध) 'उप-समिति' का अर्थ है एनआरपीसी द्वारा गठित उप-समितियां जो इसे सौंपे गए कार्यों के संचालन में मार्गदर्शन और सहायता करती हैं।
 - (न)'प्रणाली अध्ययन उप-समिति' का अर्थ है विद्युत प्रणाली अध्ययन करने के लिए एनआरपीसी द्वारा गठित एक उप-समिति।

- (ज़) 'तकनीकी समन्वय उप-समिति (टीसीसी)' का अर्थ है एनआरपीसी द्वारा गठित एक उप-समिति जो सभी तकनीकी, वाणिज्यिक और अन्य मामलों पर एनआरपीसी की सहायता करती है।
- (प) 'टीईएसटी उप-समिति' का अर्थ है एनआरपीसी द्वारा गठित एक उप-समिति जो सभी दूरसंचार, एससीएडीए और टेलीमेट्री से संबंधित मुद्दों पर एनआरपीसी की सहायता करती है।
- (फ) 'वर्ष' का अर्थ है वित्तीय वर्ष।
- 2.2 इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए शब्दों और पदों का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अधिनियम में परिभाषित है।
- 2.3 किसी भी अधिनियम, नियमों और विनियमों के संदर्भ में संशोधन या समेकन या पुन: अधिनियमन शामिल होगा।
- 3. एनआरपीसी के कार्य
- 3.1 समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:3
- 3.1.1 ग्रिड प्रदर्शन में सुधार के लिए क्षेत्रीय स्तर के संचालन विश्लेषण करना।
- 3.1.2 बिजली के अंतर-राज्यीय/अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण की स्विधा प्रदान करना।
- 3.1.3 एसटीयू के साथ अंतर-राज्यीय/अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली से संबंधित नियोजन के सभी कार्यों को स्विधाजनक बनाना।
- 3.1.4 संबंधित एनआरपीसी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर सीटीयू द्वारा नियोजित अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली पर विचार प्रदान करना। नई अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजने के लिए राष्ट्रीय पारेषण समिति द्वारा एनआरपीसी के विचारों पर विचार किया जाएगा।
- 3.1.5 वार्षिक आधार पर क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करने वाली अंतर-राज्यीय उत्पादक कंपनियों सिहत क्षेत्र की विभिन्न उत्पादन कंपनियों की उत्पादन मशीनों की योजना और रखरखाव का समन्वय करना और मासिक आधार पर रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करना।
- 3.1.6 मासिक आधार पर पारेषण प्रणाली के आउटेज की योजना शुरू करना।

- 3.1.7 ग्रिड के स्थिर संचालन के लिए सुरक्षा अध्ययन सहित परिचालन योजना अध्ययन करना।
- 3.1.8 सिस्टम अध्ययन समिति के माध्यम से प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा और स्थापित कैपेसिटर की निगरानी के माध्यम से उचित वोल्टेज बनाए रखने के लिए योजना बनाना।
- 3.1.9 क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के प्रचालन में मितव्ययिता और दक्षता से संबंधित सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति विकसित करना।

4. एन आरपीसी का सचिवालय

- 4.1. सचिवालय, एनआरपीसी निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात्;
 - 4.1.1. एनआरपीसी की समिति, उप-समितियों, टास्क फोर्स और कार्य समूहों की कार्यवाही के रिकॉर्ड को अभिरक्षा में रखना।
 - 4.1.2. समिति और उप-समिति की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करना।
 - 4.1.3. समिति और उप-समिति की बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करना।
 - 4.1.4. समिति और उप-समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।
 - 4.1.5. वाणिज्यिक खातों, परिचालन मापदंडों, सुरक्षा प्रणाली और क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली की संचार प्रणाली से संबंधित डेटा और जानकारी का संग्रह बनाए रखना।
 - 4.1.6. संकल्प के तहत एनआरपीसी के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी समझे जाने वाले घटक सदस्यों या अन्य कार्यालयों, कंपनियों, फर्मों या किसी अन्य पार्टी से जानकारी एकत्र करें और समिति और उसकी उप-समितियों के समक्ष जानकारी रखें।
 - 4.1.7 केंद्रीय क्षेत्र के गैस आधारित स्टेशनों द्वारा खुले चक्र उत्पादन का प्रमाणन।
 - 4.2 समय-समय पर सीईआरसी द्वारा बनाए गए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) विनियमों के तहत परिकल्पित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वाचन, एनआरपीसी संकल्प और एनआरपीसी सचिवालय द्वारा किया जाएगा।
 - 4.3 आईईजीसी के प्रावधानों के अनुरूप कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 4.3.1 सदस्य सचिव, एनआरपीसी अनुचित प्रथाओं, देरी, भेदभाव, सूचना की कमी, गलत सूचना की आपूर्ति या अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली में खुली पहुंच से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में शिकायत की जांच और समाधान करने का प्रयास करेगा।
- 4.3.2 सदस्य सचिव, एनआरपीसी पारेषण प्रभार/क्षमता प्रभार और प्रोत्साहन के भुगतान के उद्देश्य से प्रमाणित करेंगे:
 - (i) क्षेत्रीय एसी प्रणाली की उपलब्धता और एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के आउटेज घंटे।
 - (ii) आईएसजीएस के लिए उपलब्धता और संयंत्र भार कारक।
- 4.3.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी आईईजीसी के लगातार गैर-अनुपालन के संबंध में मामले को सत्यापित करेंगे और गैर-अनुपालन की शीघ्र समाप्ति के लिए चूककर्ता एजेंसी के साथ उठाएंगे। एनआरपीसी सचिवालय ऐसे उल्लंघन का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
- 4.3.4 एनआरपीसी सचिवालय को घटकों द्वारा स्थापित अंडर फ्रीक्वेंसी रिले का आवधिक निरीक्षण करना है और वास्तविक प्रणाली प्रचालन में निर्धारित आवृत्ति पर ऐसे रिले के गैर-प्रचालन के मामलों की जांच करनी है।
- 4.3.5 एनआरपीसी सचिवालय सभी संबंधित पक्षों के परामर्श से केविप्रा सीईए द्वारा तैयार की गई वार्षिक बंदी योजना की मासिक आधार पर समीक्षा करेगा।
- 4.3.6 एनआरपीसी सचिवालय सभी क्षेत्रीय घटकों द्वारा दिए गए आउटेज शेड्यूल का विश्लेषण करने, वार्षिक आउटेज शेड्यूल का मसौदा तैयार करने और प्रत्येक वर्ष के 31 दिसंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आउटेज प्लान को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 4.3.7 सीईआरसी/केविप्रा विनियमों/एनआरपीसी संकल्प द्वारा सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारियां भी सचिवालय दवारा निभाई जाएंगी।

4.4 मानव संसाधन

4.4.1 सचिवालय में काम करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी केविप्रा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जब भी केविप्रा समूह "ग" या "घ" अधिकारियों की अपेक्षित संख्या प्रदान करने में असमर्थ होता है, तो रिक्त पदों को प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से दो (2) साल तक की अविध के लिए या जब तक केविप्रा जनशक्ति प्रदान नहीं

- करता है, आउटसोर्स किया जाएगा। उनका पारिश्रमिक "न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948" के दायरे में होगा।
- 4.4.2 सदस्य सचिव को अन्य स्तरों पर कर्मचारियों की कमी के मामले में सेकेंडमेंट आधार पर कामकों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है।
- 4.4.3 संकल्प द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के निर्वहन के लिए, एनआरपीसी पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों, विशेषज्ञों या सलाहकारों को नियुक्त कर सकता है।
- 4.4.4 एनआरपीसी निधि को संभालने के उद्देश्य से, सदस्य सचिव सेकेंडमेंट आधार पर एनआरपीसी के घटकों में से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। एनआरपीसी घटक, एमएस से नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति में, एनआरपीसी एनआरपीसी निधि को संभालने के लिए एनआरपीसी सचिवालय के एक अधिकारी को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है।

4.5 एनआरपीसी निधि में योगदान

- 4.5.1. किसी विशेष वर्ष के लिए एनआरपीसी के सदस्यों के योगदान से एनआरपीसी निधि का रखरखाव किया जाएगा। इस निधि को संभालने के उद्देश्य से खंड 4.4.4 के अनुसार एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
- 4.5.2. घटक उस वितीय वर्ष में आयोजित पहली एनआरपीसी बैठक में अनुमोदित आंकड़ों के आधार पर एनआरपीसी निधि में अपना योगदान जमा करेंगे। निधि का उपयोग भारत सरकार से बजटीय आवंटन की प्रतिपूर्ति, विभिन्न बैठकों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए व्यय, एनआरपीसी सचिवालय के रखरखाव के लिए व्यय, अतिरिक्त कर्मचारियों/सलाहकारों की नियुक्ति, या एनआरपीसी फोरम द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यय के लिए किया जाएगा। किसी विशेष वर्ष के किसी भी अधिशेष/घाटे को अगले वितीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा।
- 4.5.3. केविप्रा, एनएलडीसी, एनआरएलडीसी और सीटीयू को छोड़कर एनआरपीसी के सभी सदस्य घटक एनआरपीसी सचिवालय के व्यय को समान रूप से साझा करेंगे।
- 4.5.4. ऑडिट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी एसओपी के अनुसार किया जाएगा और इसके रिपोर्ट एनआरपीसी फोरम के समक्ष रखी जाएगी।

5. आरपीसी सचिवालय को डेटा/सूचना प्रस्तुत करना

- 5.1. एनआरएलडीसी और क्षेत्र के घटक अपने कार्यों के निर्वहन के लिए या प्राधिकरण/आयोग/समिति द्वारा उसे सौंपी गई किसी अन्य जिम्मेदारी/कार्य को पूरा करने के लिए सचिवालय द्वारा आवश्यक सभी डेटा/जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह सुनिश्चित करना भी घटकों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी डेटा, हालांकि सचिवालय द्वारा विशेष रूप से नहीं मांगा गया है, लेकिन जो सचिवालय को सौंपी गई विशिष्ट जिम्मेदारी/कार्य के लिए आवश्यक हो सकता है, वह भी सचिवालय को उपलब्ध कराया जाता है।
- 5.2 एनआरएलडीसी सदस्य सचिव, एनआरपीसी को उत्तर क्षेत्रीय ग्रिड प्रणाली के वास्तविक समय सीमा में सभी मापदंडों का अवलोकन करने के लिए एक कंप्यूटर टर्मिनल प्रदान करेगा।

6. एनआरपीसी के अध्यक्ष

एनआरपीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति 'सरकारी संकल्प' के अनुसार की जाएगी।

7. एनआरपीसी की वेबसाइट

एनआरपीसी की अपनी वेबसाइट होगी जिसका रखरखाव एनआरपीसी सचिवालय द्वारा किया जाएगा।

अध्याय -।।: एनआरपीसी की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया

8. एनआरपीसी बैठक का स्थान और तारीख

- 8.1. बैठक का स्थान और तारीख एनआरपीसी के अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव, एनआरपीसी द्वारा तय की जाएगी। बैठक आम तौर पर क्षेत्र के भीतर आयोजित की जाएगी।
- 8.2. एनआरपीसी के सदस्यों के परामर्श से सदस्य सचिव, एनआरपीसी द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार सदस्य संगठनों द्वारा बैठक की मेजबानी की जाएगी।
- 8.3. यदि प्रत्यक्ष बैठकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी.

9. बैठकों की आवधिकता

9.1 "संकल्प" के पैरा -11 के अनुसार, सिमिति के सदस्य महीने में कम से कम एक बार मिलेंगे। तथापि, सिमिति अध्यक्ष, आरपीसी के परामर्श से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक कर सकती है।

10. समिति की बैठकों और एजेंडे के लिए सूचना

- 10.1. समिति की बैठकों के लिए नोटिस सदस्य सचिव, एनआरपीसी द्वारा अध्यक्ष, एनआरपीसी के परामर्श से कम से कम 3 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपात स्थिति या बैठक के मामले में, तत्काल कार्य करने के लिए आवश्यक बैठकें आयोजित की जानी चाहिए, एक सप्ताह का नोटिस दिया जाना है।
- 10.2. बैठक के लिए एजेंडा बिंदु सदस्यों द्वारा बैठक से कम से कम 2 सप्ताह पहले सदस्य सचिव को भेजे जाएंगे। सदस्य सचिव, एनआरपीसी एजेंडा को अंतिम रूप देंगे और इसे कम से कम 1 सप्ताह पहले अपने सभी सदस्यों को प्रसारित करेंगे और वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।
- 10.3. आम तौर पर, एनआरपीसी मासिक आधार पर सीटीयू द्वारा प्रस्तुत ट्रांसिमशन प्लानिंग से संबंधित एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। पारेषण आयोजना से संबंधित चर्चाओं को छोड़कर अन्य चर्चाएं सामान्यत: तकनीकी समन्वय उप-सिमिति (टीसीसी) में विचार-विमर्श के बाद रखी जाएंगी, जो आवश्यकता पड़ने पर आयोजित की जाएंगी।

- 10.4 सदस्य सचिव, एनआरपीसी अध्यक्ष, एनआरपीसी के परामर्श से तत्काल मामलों/नीतिगत मुद्दों से संबंधित किसी भी एजेंडे को सीधे एनआरपीसी के समक्ष रख सकते हैं।
- 10.5 सदस्य सचिव, एनआरपीसी समिति के अध्यक्ष के परामर्श से किसी भी जरूरी मामले पर अल्प सूचना पर बैठक ब्ला सकते हैं।
- 10.6 किसी सदस्य से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर भी, सदस्य सचिव, एनआरपीसी उपर्युक्त खंड 10.5 के अनुसार एक बैठक बुला सकते हैं।

11 एक सदस्य द्वारा बैठक की सूचना प्राप्त न होने का प्रभाव

11.1 एनआरपीसी या उप-समिति के किसी भी सदस्य द्वारा नोटिस प्राप्त न होने से बैठक की कार्यवाही या बैठक में लिए गए किसी भी निर्णय को अमान्य नहीं किया जाएगा।

12 बैठक रद्द करना / पुनः निर्धारित करना

12.1 यदि किसी बैठक को रद्द या पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो उसे जल्द से जल्द ई-मेल द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाएगा और तुरंत एनआरपीसी वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

13 एनआरपीसी बैठक की गणपूर्ति

- 13.1. बैठक का कोरम कम से कम 50% सदस्यों से होगा।
- 13.2. एनआरपीसी में सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे।
- 13.3. उपरोक्त कोरम के साथ बैठक के दौरान समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुसमर्थन को अंतिम माना जाएगा।
- 13.4. क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और विद्युत के निर्धारण और प्रेषण के लिए एनआरपीसी के निर्णय का उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनआरएलडीसी) द्वारा आयोग के निदेशों अथवा विनियमों के अध्यधीन पालन किया जाएगा।
- 13.5 केवल एनआरपीसी के सदस्य और उनके संगठन के दो से अधिक प्रतिनिधि समिति की बैठक में भाग नहीं लेंगे। अन्य व्यक्ति केवल आमंत्रण/अनुमित से बैठक में भाग ले सकते हैं। हालांकि, मतदान का अधिकार केवल एनआरपीसी के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा।
- 14 पीठासीन प्राधिकारी

- 14.1. अध्यक्ष, एनआरपीसी एनआरपीसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और कामकाज का संचालन करेंगे। सदस्य सचिव, एनआरपीसी बैठक के संचालन में एनआरपीसी के अध्यक्ष की सहायता करेंगे। यदि अध्यक्ष किसी कारण से बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो बैठक में उपस्थित राज्य उपयोगिताओं के एनआरपीसी के विरष्ठ सदस्य से बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य सचिव द्वारा अनुरोध किया जाएगा।
- 14.2 सदस्य सचिव, एनआरपीसी की अनुपस्थिति में एनआरपीसी सचिवालय के अगले विरष्ठतम अधिकारी बैठक ब्लाएंगे।

15 कार्यवृत्तों की रिकॉर्डिंग

- 15.1 बैठक के कार्यवृत्त को सिमिति की बैठक की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सदस्य सिचव, एनआरपीसी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके सभी सदस्यों को वितरित किया जाएगा। मिनट्स एनआरपीसी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए जाएंगे।
- 15.2. बैठक के दौरान होने वाली चर्चाओं को ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और मिनट की पुष्टि होने तक रिकॉर्ड एनआरपीसी के सचिवालय में रखा जाएगा। बैठक की मेजबानी करने वाला सदस्य संगठन बैठक की कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

16 कार्यवृत्त की पुष्टि

16.1 एनआरपीसी बैठक के कार्यवृत्त को पुष्टि के लिए अगली बैठक में रखा जाएगा। हालांकि, तात्कालिकता के मामले में मिनटों की पुष्टि परिसंचरण द्वारा की जा सकती है।

अध्याय- III: एनआरसी की उप-समितियाँ

17 एन आरपीसी की उप-समितियों का गठन

- 17.1 एनआरपीसी द्वारा सौंपे गए कार्यों के संचालन में मार्गदर्शन और सहायता के लिए निम्नलिखित उप-समितियों का गठन किया जाएगा:
 - (क) तकनीकी समन्वय उप-समिति (टीसीसी)
 - (ख) संचालन समन्वय उप-समिति (ओसीसी)
 - (ग) वाणिज्यिक उप-समिति (सीसी)
 - (घ) संरक्षण उप-समिति (पीसी)
 - (ङ) सिस्टम अध्ययन उप-समिति
 - (च) एलजीबीआर उप-समिति
 - (छ) दूरसंचार, स्काडा और टेलीमेट्री (टी ईएसटी) उप-समिति
- 17.2 एनआरपीसी या सदस्य सचिव, एनआरपीसी या कोई उप-समिति किसी विशिष्ट मुद्दे पर सलाह देने के लिए सदस्यों और बाहरी विशेषज्ञों में से विशिष्ट उद्देश्य के लिए टास्क फोर्स, कोर ग्रुप का गठन कर सकती है।
- 18 तकनीकी समन्वय उप-समिति (टीसीसी)

18.1 कार्य:

- 18.1.1 तकनीकी समन्वय उप-समिति, ऑपरेशन समन्वय उप-समिति, वाणिज्यिक उप-समिति, सुरक्षा उप-समिति, सिस्टम अध्ययन उप-समिति, एलजीबीआर उप-समिति और क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन, वाणिज्यिक पहलुओं, बिजली के अंतर-राज्य/अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण, ग्रिड स्थिरता आदि से संबंधित टीईएसटी उप-समिति, जिससे क्षेत्र में बिजली प्रणाली के संचालन में मितव्ययिता और दक्षता आएगी द्वारा संदर्भित सभी मुद्दों पर विचार करेगी।
- 18.1.2 टीसीसी एनआरपीसी के निर्णयों को लागू करेगा और क्षेत्रीय ग्रिड संचालन, ग्रिड सुरक्षा और वाणिज्यिक मामलों पर अपने कार्यों के निर्वहन और नीतिगत मामलों के निर्माण में एनआरपीसी को मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करेगा।

18.2 तकनीकी समन्वय उप-समिति की संरचना:

- 18.2.1. टीसीसी का प्रतिनिधित्व उत्पादन/पारेषण/वितरण से संबंधित एनआरपीसी घटकों के तकनीकी सदस्यों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। प्रतिनिधित्व राज्य उपयोगिताओं में तकनीकी प्रमुखों, कार्यकारी निदेशकों/मुख्य महाप्रबंधकों या पीएसयू में समकक्षा/वितरण कंपनी/व्यापारियों/आईपीपी के तकनीकी प्रमुखों और सीईए में मुख्य अभियंता के स्तर पर होगा।
- 18.2.2 एनआरपीसी के अध्यक्ष अपने संबंधित राज्य से टीसीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। अध्यक्ष, टीसीसी को एनआरपीसी के अध्यक्ष के रूप में उसी क्रम में प्रत्येक वर्ष राज्यों में से स्थानांतरित किया जाएगा।

18.3 बैठकों:

- 18.3.1. टीसीसी आवश्यकता पड़ने पर बैठक करेगी और अपनी सिफारिशें एनआरपीसी को प्रस्तुत करेगी।
- 18.3.2. क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन, ग्रिड की सुरक्षा, वाणिज्यिक मामलों और अन्य मुद्दों से संबंधित तत्काल मुद्दों या विशिष्ट मुद्दों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए टीसीसी अलग से भी बैठक करेगा।
- 18.3.3. टीसीसी के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यदि अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है, तो सदस्य सचिव, एनआरपीसी टीसीसी सदस्यों में से एक व्यक्ति से बैठक की अध्यक्षता करने का अन्रोध करेगा।
- 18.2.4 सदस्य सचिव, एनआरपीसी टीसीसी बैठक आयोजित करने में टीसीसी अध्यक्ष की सहायता करेंगे।

19 ऑपरेशन समन्वय उप-समिति (ओसीसी)

19.1 कार्य:

ऑपरेशन समन्वय समिति (ओसीसी) क्षेत्रीय ग्रिड के संचालन से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। प्रत्येक पावर स्टेशन से बिजली और ऊर्जा की उपलब्धता और वर्तमान और अगले महीने के लिए प्रत्येक राज्य की मांग का अनुमान लगाना; उत्पादन इकाइयों और प्रमुख पारेषण लाइनों के लिए समन्वित रखरखाव कार्यक्रम तैयार करना; घटकों द्वारा पालन किए जाने वाले परिचालन अनुशासन और उसके मानदंडों की समीक्षा करना; स्वचालित अंडर-फ़्रीक्वेंसी रिले के संचालन की समीक्षा

करना; पिछले महीने के दौरान प्रणालीगत घटनाओं, यदि कोई हो, पर चर्चा करना और जांच समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना; ग्रिड संचालन से संबंधित आईईजीसी के प्रावधानों के उल्लंघन की निगरानी/समीक्षा करना; अन्य क्षेत्रों के साथ ऊर्जा हस्तांतरण के अनुकूलन सिहत आर्थिक ग्रिड संचालन सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा/समीक्षा; अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा आदान-प्रदान को अनुकूलित करने की संभावना की जांच करना; अन्य क्षेत्रों के साथ ऊर्जा हस्तांतरण के अनुकूलन पर चर्चा; और टीसीसी/एनआरपीसी द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला।

19.2 संचालन समन्वय समिति की संरचना:

- 19.2.1 ओसीसी का प्रतिनिधित्व एनआरपीसी के घटक सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। नामांकित प्रतिनिधि राज्य उपयोगिताओं में मुख्य अभियंता/सीपीएसई में महाप्रबंधक या परिचालन संबंधी मुद्दों से परिचित समकक्ष स्तर का होगा।
- 19.2.2 सदस्य सचिव, एनआरपीसी ओसीसी के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता ओसीसी के संयोजक होंगे।
- 19.3 बैठकें:

बैठक हर महीने आम तौर पर उस महीने के 20 वें दिन से पहले आयोजित की जाएगी।

20 वाणिज्यिक उप-समिति (सीएससी):

20.1 कार्य:

वाणिज्यिक उप-समिति (सीएससी) वाणिज्यिक ऊर्जा लेखांकन, थोक बिजली आपूर्ति समझौतों में शामिल करने के लिए आवश्यक योजनाएं, नई परियोजनाओं से बिजली की आवश्यकता, विशेष ऊर्जा मीटर की स्थापना और इसकी लागत साझा करना आदि, मीटिरंग पहलू, नियामक खातों के भुगतान की समीक्षा, ट्रांसिमशन से संबंधित मुद्दे शुल्क, बिजली के अंतर-राज्य और अंतर-क्षेत्रीय आदान-प्रदान में वाणिज्यिक मुद्दे, घटकों के बीच भुगतान के निपटान से संबंधित मुद्दे, यदि कोई हो, आदि और टीसीसी/एनआरपीसी द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामलें से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करेगी। वाणिज्यिक समिति क्षेत्रीय ऊर्जा खातों और यूआई डीएसएम, रिएक्टिव एनर्जी और अन्य पूल खातों का ऑडिट करेगी।

20.2 वाणिज्यिक उप-समिति (सीएससी) की संरचना:

- 20.2.1 वाणिज्यिक उप-समिति का प्रतिनिधित्व आरपीसी के घटक सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
- 20.2.2 नामित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटियों में मुख्य अभियंताओं/सीपीएसई में महाप्रबंधक के स्तर पर या वाणिज्यिक मुद्दों से परिचित समकक्ष स्तर पर होगा।
- 20.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी **सीएससी** के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता सीसी के संयोजक होंगे।

20.3 बैठकें:

बैठक त्रैमासिक रूप से या जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जाएगी ताकि अत्यावश्यक प्रकृति के मुद्दों को संबोधित किया जा सके।

21 संरक्षण उप-समिति (पीएससी)

21.1 कार्य:

सुरक्षा उप-समिति (भिएससी) बिजली प्रणाली सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों जैसे क्षेत्र में सिस्टम गड़बड़ी का विश्लेषण, सुरक्षात्मक रिलेइंग योजनाओं की समीक्षा, रिले समन्वय द्वीप योजना, आवृत्ति लोड शेडिंग योजनाओं के तहत स्वचालित, उपरोक्त मामलों से संबंधित क्षेत्र में ग्रिड गड़बड़ी की जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा, आदि और टीसीसी/एनआरपीसी द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामलों के संबंध में चर्चा करेगी।

21.2 संरक्षण उप-समिति की संरचना:

- 21.2.1. संरक्षण उप-समिति का प्रतिनिधित्व एनआरपीसी के घटक सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- 21.2.2 नामित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटियों में मुख्य अभियंताओं/सीपीएसई में महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर पर होगा और क्षेत्र में विद्युत प्रणाली संरक्षण/परीक्षण से संबंधित होगा।
- 21.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी पीसी के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता पीसी के संयोजक होंगे।

21.3 बैठकें:

बैठक त्रैमासिक रूप से या जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जाएगी ताकि अत्यावश्यक प्रकृति के मुद्दों को संबोधित किया जा सके।

22 सिस्टम अध्ययन उप-समिति (एसएससी):

22.1. कार्य::

प्रणाली अध्ययन उप-समिति निम्नलिखित प्रणाली अध्ययन करेगी:

- उत्पादन और पारेषण प्रणालियों में प्रत्याशित परिवर्धन और प्रणाली में कम वोल्टेज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आवश्यक कैपेसिटर की मात्रा के आकलन के लिए अध्ययन।
- ii. प्रतिक्रियाशील मुआवजे की आवश्यकता की समीक्षा के लिए अध्ययन।
- iii. चरम स्थितियों से लेकर ऑफ-पीक स्थितियों आदि के लिए, जब भी आवश्यकता हो, परिचालन भार प्रवाह का अध्ययन किया जाता है।
- iv. आवश्यकता पड़ने पर शॉर्ट-सर्किट अध्ययन।
- v. ग्रिड व्यवधानों जैसी प्रमुख घटनाओं अथवा अन्य मुद्दों के लिए आवधिक रूप से अथवा जब कभी संघटक (घटकों) द्वारा अनुरोध किया जाता है, क्षणिक स्थिरता अध्ययन।
- vi. ट्रांसिमशन बाधाओं से संबंधित सिस्टम अध्ययन।
- vii. रिएक्टरों या कैपेसिटर ऑपरेशन/आवश्यकता के विशिष्ट संदर्भ के साथ उच्च/निम्न वोल्टेज स्थितियों के लिए विशिष्ट अध्ययन।
- viii. आवश्यकता पड़ने पर रिएक्टरों की आवश्यकता की पहचान
- ix. जब भी आवश्यक हो, अध्ययनों से स्रक्षा संबंधी मृद्दों का सह-संबंध।

22.2 प्रणाली अध्ययन उप-समिति की संरचना:

22.2.1 प्रणाली अध्ययन उप-समिति का प्रतिनिधित्व एनआरपीसी के घटक सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

- 22.2.2 नामित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटियों में कार्यपालक अभियंताओं/सीपीएसई में उप महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर पर होगा और क्षेत्र में प्रणाली अध्ययन से संबंधित मृद्दों से परिचित होगा।
- 22.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी एसएससी के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे सचिवालय के अधीक्षण अभियंता इस उप-समिति के संयोजक होंगे।

22.3 बैठकें:

जब भी आवश्यक हो, संयोजक द्वारा लिए गए निर्णय के अन्सार।

23 एलजीबीआर उप-समिति

23.1 कार्य:

- i. एलजीबीआर उप-समिति भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्य करेगी:
- ii. उत्पादन स्टेशनों की वाषक बंदी योजना को अंतिम रूप देना।
- iii. अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित बिजली आपूर्ति की स्थिति तैयार करें। उत्पादन स्टेशनों की वार्षिक आउटेज योजना और प्रत्याशित बिजली आपूर्ति स्थिति की आविधक समीक्षा।

23.2 एलजीबीआर उप-समिति की संरचना:

- 23.2.1 एलजीबीआर उप-समिति का प्रतिनिधित्व एनआरपीसी के घटक सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- 23.2.2 नामित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटियों में मुख्य अभियंताओं/सीपीएसई में महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर पर होगा और क्षेत्र में प्रणाली अध्ययन से संबंधित मुद्दों से परिचित होगा।
- 23.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी एलजीबीआर उप-समिति के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता एलजीबीआर उप-समिति के संयोजक होंगे।

23.3 बैठकें:

जब भी संयोजक द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक होगा, बैठकें आयोजित की जाएंगी।

24 दूरसंचार, स्काडा और टेलीमेट्री (टीईएसटी) उप-समिति कार्यः

24.1 टीईएसटी उप-समिति भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रावधानों के अनुसार एनआर की दूरसंचार, एससीएडीए और टेलीमेट्री योजनाओं और उन पर मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करेगी।

24.2 टीईएसटी उप-समिति की संरचना:

- 24.2.1. टीईएसटी उप-समिति का प्रतिनिधित्व एनआरपीसी के घटक सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- 24.2.2. नामित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटीज के मुख्य अभियंताओं/सीपीएसई के महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर पर होगा और इस क्षेत्र में दूरसंचार, एससीएडीए और टेलीमेट्री के साथ बातचीत करेगा।
- 24.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी टीईएसटी उप-समिति के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता टीईएसटी उप-समिति के संयोजक होंगे।

24.3 बैठकें:

संयोजक द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद बैठक आयोजित की जाएगी।

25. नवीकरणीय ऊर्जा उप-समिति (आरईसी)

25.1 कार्य:

आरई उप-समिति नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, ग्रिड में इसके एकीकरण, निकासी और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक करेगी।

25.2 आरई उप-समिति की संरचना:

25.2.1 आरई उप-समिति का प्रतिनिधित्व सभी आईएसटीएस से जुड़े आरई जनरेटर, 100 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता वाले राज्य आरई जनरेटर, एनएलडीसी, एनआरएलडीसी, सीटीयू, पावरग्रिड, आरई समृद्ध राज्यों के एसटीयू और एसएलडीसी द्वारा किया जाएगा जहां आरईएमसी संचालित है।

- 25.2.2 नामांकित प्रतिनिधि राज्य यूटिलिटीज के मुख्य अभियंता/सीपीएसई के महाप्रबंधक या समकक्ष स्तर का होगा और क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन से परिचित होगा।
- 25.2.3 सदस्य सचिव, एनआरपीसी आरई उप-समिति के अध्यक्ष होंगे और बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय के अधीक्षण अभियंता आरई उप समिति के संयोजक होंगे।

25.3 बैठकें:

बैठक त्रैमासिक रूप से और जब भी आवश्यक हो, आयोजित की जाएगी ताकि अत्यावश्यक प्रकृति के मुद्दों को संबोधित किया जा सके।

अध्याय -IV: एनआरपीसी की उप-समिति की बैठकें आयोजित करने की प्रक्रिया

26 उप-समिति की बैठकों का आयोजन, नोटिस जारी करना, एजेंडा और इसके कार्यवृत्त

- 26.1 उपरोक्त उप-समिति की बैठक के लिए नोटिस बैठक की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले और एनआरपीसी सचिवालय द्वारा बैठक से एक सप्ताह पहले एजेंडा बिंदु जारी किए जाएंगे। हालांकि, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होनी है तो यह अविध घटाकर क्रमश: 10 दिन और 3 दिन की हो सकती है। बैठक के कार्यवृत्त को सदस्य सचिव द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा और एनआरपीसी सचिवालय द्वारा बैठक के 15 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा।
- 26.2 क्षेत्रीय ग्रिड के प्रचालन और उपर्युक्त अन्य कार्यों के लिए समिति के निर्णय को घटकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यदि उप-समिति मामले की सिफारिश टीसीसी/एनआरपीसी को आगे विचार-विमर्श या निर्णय के लिए करती है, तो उसे एनआरपीसी सचिवालय द्वारा टीसीसी/एनआरपीसी को भेजा जाएगा।
- 26.3 बैठकें क्षेत्र में स्थित स्थान और स्थल पर आयोजित की जाएंगी, जिसका निर्णय सदस्य सिचव, एनआरपीसी द्वारा किया जाएगा। यदि प्रत्यक्ष बैठकों के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, तो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
- 26.4 बैठक की मेजबानी सदस्य संगठनों द्वारा की जा सकती है, जैसा कि सदस्य सचिव, एनआरपीसी द्वारा उप-समिति के सदस्यों के परामर्श से तय किया गया है। बैठक के संचालन के लिए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं मेजबान सदस्य संगठन द्वारा की जाएंगी।

अध्याय ∨: एनआरपीसी फंड का संचालन

- 27 नाम: निधि का नाम "एनआरपीसी-फंड" होगा।
- 2**8** लक्ष्य:
 - 1 निधि एनआरपीसी के घटक सदस्यों से एकत्र िकए गए योगदान शुल्क की संचित राशि है। अंशदान की राशि का निर्णय प्रत्येक वर्ष के िलए एनआरपीसी की बैठक में िकया जाएगा।
 - 2 निधि का उपयोग डीडीओ, एनआरपीसी के माध्यम से भारत सरकार/केिसीईए की समेकित निधि में एनआरपीसी सचिवालय के कार्यालय द्वारा किए गए वास्तविक व्यय (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए बजट से) की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा।
 - 3 इस निधि का उपयोग सीईए द्वारा जारी एसओपी के अनुसार एनआरपीसी सचिवालय के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
 - 4 निधि का उपयोग मौजूदा क्षेत्रीय बोर्ड निधि के माध्यम से एनआरपीसी की बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के आयोजन में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
 - 5 आरपीसी फोरम के अनुमोदन से एनआरपीसी सचिवालय के कुशल कामकाज के लिए सदस्य सचिव द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।
 - 6 निधि से व्यय जीएफआर/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- 29 योगदान: निम्निलिखित को छोड़कर सभी सदस्य (रोटेशनल सदस्यों सिहत), वार्षिक आधार पर समान रूप से योगदान देंगे, जो हर साल पिछले वर्ष के वास्तिवक व्यय और वर्तमान/अगले वर्ष में अनुमानित व्यय की समीक्षा के आधार पर तय किया जाएगा:

- i) केविप्रा
- ii) सदस्य सचिव, एनआरपीसी
- iii) विद्युत मंत्रालय/एनआरपीसी फोरम द्वारा छूट प्राप्त कोई भी सदस्य
- iv) विशेष आमंत्रित सदस्य
- 30 परिचालन: निधि का रख-रखाव उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में किया जाएगा और इसका प्रचालन एनआरपीसी सदस्यों की ओर से सदस्य सचिव द्वारा निर्णीत दो और हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ किसी भी घटक सदस्य के नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। लेखा का संचालन सदस्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण/पर्यवेक्षण में किया जाएगा।
- 31 खातों का रखरखाव: सभी व्यय/प्राप्तियों का लेखा-जोखा एनआरपीसी सदस्यों की ओर से नोडल अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। ऐसा अधिकारी एक रोकड़ बही आदि भी रखेगा, जहां सभी प्राप्तियों और व्यय का विवरण दर्ज किया जाएगा।
- 32 खातों का सत्यापन/लेखा परीक्षा: प्रत्येक वितीय वर्ष के लिए "एनआरपीसी फंड" खाते का ऑडिट केविप्रा द्वारा जारी एसओपी के अनुसार किया जाएगा।

अध्याय - 🗸 : रिपोर्ट

33.एनआरपीसी की रिपोर्ट

33.1 एनआरपीसी सचिवालय द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत की जाएंगी:

क्र.सं.	रिपोर्ट का नाम	अवधि
1	मासिक प्रगति रिपोर्ट उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड / परिचालन डेटा	मासिक
2	एनआरपीसी की वार्षिक रिपोर्ट	वार्षिक

अध्याय -VII: विविध

34 एनआरपीसी की अंतर्निहित शक्ति की बचत

- 34.1 इन नियमों में कुछ भी एनआरपीसी को अधिनियम के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन नियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, यदि एनआरपीसी किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटना आवश्यक या समीचीन समझती है।
- 34.2 इन नियमों में कुछ भी स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से, एनआरपीसी को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और एनआरपीसी ऐसे मामलों से निपट सकता है, और उस तरीके से कार्य कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।



NORTHERN REGIONAL POWER COMMITTEE KATWARIA SARAI, NEW DELHI

CONDUCT OF BUSINESS Rules, 2024

Contents

CHAPT	ER-I: GENERAL	1
1.	Short title and commencement	1
2.	Definitions	1
3.	Functions of NRPC	2
4.	Secretariat of NRPC	3
5.	Furnishing of data / information to Secretariat of RPC	5
6.	Chairperson of NRPC	5
7.	Website of NRPC	5
CHAPT	ER-II: PROCEDURE FOR CONDUCTING NRPC MEETINGS	6
8.	Place and date of NRPC Meeting	6
9.	Periodicity of meetings	6
10.	Notice for the Committee meetings and Agenda	6
11.	Effect of Non-receipt of Notice of Meeting by a Member	6
12.	Cancellation / re-scheduling of Meeting	7
13.	Quorum of NRPC Meeting	7
14.	Presiding Authority	7
15.	Recording of the minutes	7
16.	Confirmation of the Minutes	7
CHAPT	ER-III: SUB-COMMITTEES OF NRPC	8
17.	Constitution of Sub-Committees of NRPC	8
18.	Technical Co-Ordination Sub-Committee (TCC)	8
19.	Operation Co-Ordination Sub-Committee (OCC)	9
20.	Commercial Sub-Committee (CSC):	10
21.	Protection Sub-Committee (PSC)	10
22.	System Study Sub-Committee (SSC):	11
23.	LGBR Sub-Committee	12
24.	Telecommunication, Scada & Telemetry (TeST) Sub-Committee	12
25.	Renewable Energy Sub-Committee (REC)	13
СНАРТ	ER-IV: PROCEDURE FOR CONDUCTING SUB-COMMITTEE MEETINGS OF NRPC	14
26.	Conducting of Sub-Committee Meetings, issue of Notice, Agenda & its Minutes	14
CHAPT	ER-V: Operation of "NRPC-Fund"	15
27.	NAME:	15
28.	PURPOSE:	15
29.	CONTRIBUTION:	15
30.	OPERATION:	15
31.	MAINTENANCE OF ACCOUNTS:	16
32.	VERIFICATION OF ACCOUNTS:	16
CHAPT	FR-VI: RFPORTS	17

33.	REPORTS BY NRPC	17
CHAPTER	R-VII: MISCELLANEOUS	18
34.	Saving of inherent Power of the NRPC	18

CHAPTER-I: GENERAL

1. Short title and commencement

- 15.1. Government of India, under the provision of Section 2, Subsection 55 of the Electricity Act 2003 vide resolution F.No. 23/21/2021-R&R dated 3rd December 2021 (copy enclosed) published in the Gazette of India has established the Northern Regional Power Committee herein after referred to as NRPC comprising of states of Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttaranchal and Uttar Pradesh and the Union Territories of Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh.
- 15.2. As per the clause-9 of the aforesaid resolution dated 3rd December 2021, the NRPC hereby makes the following rules which may be called "The Northern Regional Power Committee (Conduct of Business) Rules, 2024".
- 15.3. These rules shall come into force from the date of its approval by the NRPC and shall remain in force unless otherwise modified.

2. Definitions

- 2.1. In these Rules unless the context otherwise requires:
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003.
 - (b) 'Agenda' means the list of business proposed to be transacted at a meeting of the Committee or Sub-Committee.
 - (c) 'Authority' means Central Electricity Authority.
 - (d) 'Commercial Sub-Committee (CSC)' means a sub-committee constituted by the Committee to consider commercial related issues.
 - (e) 'Commission' means Central Electricity Regulatory Commission.
 - (f) 'Committee' means the Northern Regional Power Committee constituted by the Central Government under Sub-Section (55) of Section 2 of the Electricity Act, 2003.
 - (g) 'Government Resolution' means resolution No. 23/21/2021-R&R dated 3rd December 2021, notified by Government of India and amendment(s) thereon.
 - (h) 'IEGC' means the Indian Electricity Grid Code, specified by Central Electricity Regulatory Commission.
 - (i) LGBR Sub-Committee means a sub-committee constituted by the committee to
 - i. finalise annual outage plan of generating stations
 - ii. prepare anticipated power supply position for next fiscal and
 - iii. for periodic review of (i) & (ii).

- (j) 'Meeting' means a meeting of the committee / sub-committee convened by the Member Secretary, NRPC Secretariat or any member authorized to convene a meeting in the absence of the head of Secretariat.
- (k) 'Member' means the member of the as per Resolution of the Government of India on establishment of NRPC dated 3rd December 2021 and as amended from time to time.
- (I) 'NLDC' means National Load Despatch Centre.
- (m) 'NRLDC' means Northern Regional Load Despatch Centre
- (n) 'Operational Coordination Sub-Committee (OCC)' means a sub-committee constituted by the NRPC to consider all issues related to operation of the regional grid.
- (o) 'Protection Sub-Committee (PSC)' means a sub-committee constituted by the Committee to consider all power system protection related issues.
- (p) 'Renewable Energy Sub-Committee (REC)' means a sub-committee constituted by the Committee to consider all Renewable Energy related issues.
- (q) 'Rule' means Northern Regional Power Committee (Conduct of Business) Rules as amended.
- (r) 'SLDC' means State Load Despatch Centre.
- (s) 'Sub-Committee' means the Sub-Committees constituted by NRPC to guide and assist it in conducting the functions assigned to it.
- (t) 'System study Sub-Committee' means a sub-committee constituted by NRPC to carry out the Power System studies.
- (u) 'Technical Coordination Sub-Committee (TCC)' means a sub-committee constituted by the NRPC to assist the NRPC on all technical, commercial and other matters.
- (v) 'TeST Sub-Committee' means a sub-committee constituted by the NRPC to assist the NRPC on all Telecommunication, SCADA & Telemetry related issues.
- (w) 'Year' means Financial Year.
- 2.2. The words and expressions used and not defined in these Rules shall be construed as having the same meaning as defined in the Act.
- 2.3. Reference to any Acts, Rules and Regulations shall include amendments or consolidation or re-enactment thereof.

3. Functions of NRPC

- 3.1. The committee shall carry out following functions:
 - 3.1.1 To undertake Regional Level operation analysis for improving grid performance.

- 3.1.2 To facilitate inter-state/inter-regional transfer of power.
- 3.1.3 To facilitate all functions of planning relating to inter-state/ intra-state transmission system with CTU/STU.
- 3.1.4 To provide views on the inter-state transmission system planned by CTU within 45 days of receipt of the proposal by the concerned NRPC. The views of NRPC will be considered by National Committee on Transmission for sending their recommendation to Ministry of Power for approval of new inter-state transmission system.
- 3.1.5 To coordinate planning & maintenance of generating machines of various generating companies of the region including those of inter-state generating companies supplying electricity to the Region on an annual basis and also to undertake review of maintenance programme on a monthly basis.
- 3.1.6 To undertake planning of outage of transmission system on a monthly basis.
- 3.1.7 To undertake operational planning studies including protection studies for stable operation of the grid.
- 3.1.8 To undertake planning for maintaining proper voltages through review of reactive compensation requirement through system study committee and monitoring of installed capacitors.
- 3.1.9 To evolve consensus on all issues relating to economy and efficiency in the operation of power system in the region.

4. Secretariat of NRPC

- 4.1. Secretariat, NRPC shall perform the following duties namely;
 - 4.1.1. Keep custody of records of proceedings of the Committee, sub-committees, task force and working groups of the NRPC.
 - 4.1.2. Prepare agenda for the Committee and Sub-Committee meetings.
 - 4.1.3. Prepare minutes of Committee and Sub-Committee meetings.
 - 4.1.4. Take follow-up action on the decision taken in the Committee & Sub-Committee meetings.
 - 4.1.5. Maintain archive of data and information pertaining to commercial accounts, operating parameters, protection system and communication system of the regional power system.
 - 4.1.6. Collect from constituent members or other offices, companies, firms or any other party as may be considered useful for the efficient discharge of functions of NRPC under the Resolution and place the information before the Committee and its sub-committees.
 - 4.1.7. Certification of open cycle generation carried out by central sector gasbased stations.

- 4.2. The duties and responsibility envisaged under Indian Electricity Grid Code (IEGC) Regulations made by CERC, NRPC Resolution and NRPC from time to time shall be carried out by the NRPC Secretariat.
- 4.3. In line with the provisions of IEGC the details of functions are given below:
 - 4.3.1. The Member Secretary, NRPC shall investigate and endeavour to resolve the grievance regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter related to open access in inter-state transmission system.
 - 4.3.2. The Member Secretary, NRPC shall, for the purpose of payment of transmission charges/ capacity charges and incentives, certify:
 - (i) Availability of Regional AC system and outage hours of HVDC transmission system.
 - (ii) Availability and Plant Load Factor for ISGS.
 - 4.3.3. Member Secretary, NRPC, shall verify and take up the matter regarding persistent non-compliance of IEGC with the defaulting agency for expeditious termination of the non-compliance. NRPC Secretariat shall maintain appropriate records of such violation.
 - 4.3.4. NRPC Secretariat is to carry out periodic inspection of Under Frequency Relays installed by the constituents and investigate cases of non-operation of such relays at set frequency in actual system operation.
 - 4.3.5. The NRPC Secretariat shall review on monthly basis the Annual outage plan prepared by CEA in consultation with all parties concerned.
 - 4.3.6. The NRPC Secretariat shall be responsible for analyzing the outage schedule given by all Regional Constituents, preparing a draft annual outage schedule and finalization of the annual outage plan for the following financial year by 31st December of each year.
 - 4.3.7. Any other responsibilities assigned by CERC/ CEA Regulations/ NRPC Resolution shall also be carried out by secretariat.

4.4. Human Resources

- 4.4.1. Officers and staff to man the Secretariat shall be provided by CEA. As and when CEA is unable to provide requisite number of Group "C" or "D" officials, the vacant posts shall be got outsourced through competitive bidding route for a period up to two (2) years or until CEA provides the manpower. Their remuneration shall be within the ambit of "Minimum Wages Act, 1948".
- 4.4.2. Member Secretary is also empowered to appoint personnel in case of shortage of staff at other levels on secondment basis.
- 4.4.3. For discharging the functions other than those assigned by the Resolution, NRPC may hire adequate number of persons, experts or consultants.

4.4.4. For the purpose of handling NRPC fund, Member Secretary shall appoint one nodal officer from the constituents of NRPC on secondment basis. In the absence of nodal officer from NRPC constituent, MS, NRPC can temporarily appoint one officer of NRPC Secretariat to handle NRPC fund.

4.5. Contribution towards NRPC Fund

- 4.5.1. An NRPC fund shall be maintained from contributions from members of NRPC for a particular year. A nodal officer shall be appointed as per clause 4.4.4. for the purpose of handling this fund.
- 4.5.2. The constituents shall deposit their contributions towards NRPC fund, based on the figures approved in the first NRPC meeting held in that financial year. The fund shall be utilized for reimbursement of budgetary allocation from Government of India, expenditure for conducting various meetings/training programs, expenditure for maintenance of NRPC Secretariat, hiring of additional staff/consultants, or any other expenditure as approved by the NRPC forum. Any surplus/ deficits of a particular year shall be adjusted in the subsequent financial year.
- 4.5.3. All the member constituents of NRPC except CEA, NLDC, NRLDC and CTU shall equally share the expenditure of NRPC Secretariat.
- 4.5.4. Audit shall be done as per SOP issued by Central Electricity Authority and reports for the same shall be placed before NRPC forum.

5. Furnishing of data / information to Secretariat of RPC

- 5.1. NRLDC and the constituents of the region shall make available all data / information required by the Secretariat to discharge its functions or to carry out any other responsibility / function assigned to it by the Authority / Commission / Committee. It shall also be responsibility of the constituents to ensure that any data though not specifically asked for by the Secretariat, but which may be required for the specific responsibility / function assigned to the Secretariat is also made available to the secretariat.
- 5.2. NRLDC shall provide to Member Secretary, NRPC a computer terminal to have a view of all the parameters in real time frame of Northern Regional grid system.

6. Chairperson of NRPC

The Chairperson of NRPC would be appointed as per 'Government Resolution'.

7. Website of NRPC

The NRPC shall have its own website which shall be maintained by NRPC Secretariat.

CHAPTER-II: PROCEDURE FOR CONDUCTING NRPC MEETINGS

8. Place and date of NRPC Meeting

- 8.1. The place and date of the meeting will be decided by Member Secretary, NRPC in consultation with Chairperson, NRPC. The meeting will generally be held within the region.
- 8.2. Meeting will be hosted by the member organizations as per the roster prepared by Member Secretary, NRPC in consultation with the members of the NRPC.
- 8.3. In case the situations are not conducive for physical meetings, the meetings will be conducted through Video Conferencing.

9. Periodicity of meetings

9.1. The Committee members shall **meet at least once in a month**, as per para-11 of "Resolution". However, the Committee may meet to discuss any issue as and when required in consultation with Chairperson, RPC.

10. Notice for the Committee meetings and Agenda

- 10.1. Notice for the Committee meetings shall be issued by Member Secretary, NRPC at least 3 weeks in advance in consultation with Chairperson, NRPC. In case of exigency or meeting through video conferencing, meetings required to be conducted to carry out urgent business, notice of one week is to be given.
- 10.2. The agenda points for the meeting shall be sent to the Member Secretary by the members at least 2 weeks in advance of the meeting. The member Secretary, NRPC shall finalize the agenda and circulate the same to all its members at least 1 week in advance and also be posted on the website.
- 10.3. Normally, NRPC shall meet to discuss the agenda related to transmission planning submitted by CTU on monthly basis. Discussions other than those related to transmission planning shall generally be put up after discussions in Technical Co-ordination Sub-Committee (TCC) which will be held as and when required.
- 10.4. Member Secretary, NRPC may also put any agenda involving urgent matters / policy issue directly before NRPC in consultation with Chairperson, NRPC.
- 10.5. Member Secretary, NRPC may convene a meeting on short notice on any urgent matter in consultation with Chairperson of the committee.
- 10.6. On receipt of specific request from a member too, Member Secretary, NRPC may convene a meeting in accordance with clause 10.5 above.

11. Effect of Non-receipt of Notice of Meeting by a Member

11.1. The non-receipt of notice by any member of NRPC or sub-committee shall not invalidate the proceeding of the meeting or any decision taken in the meeting.

12. Cancellation / re-scheduling of Meeting

12.1. If a meeting is required to be cancelled or rescheduled the same shall be intimated to the members at the earliest by e-mail and also posted in NRPC website immediately.

13. Quorum of NRPC Meeting

- 13.1. The Quorum of the meeting shall be at least 50% of its members.
- 13.2. All decision in the NRPC shall be taken by consensus.
- 13.3. The decisions / ratifications made by the Committee during the meeting with the above quorum shall be treated as final.
- 13.4. The decision of the NRPC arrived at for Operation of the Regional Grid and Scheduling and dispatch of electricity shall be followed by Northern Regional Load Despatch Centre (NRLDC) subject to the directions or regulations of the Commission.
- 13.5. Only members of NRPC and not more than two representatives of his organization shall participate in the Committee meeting. Other persons may attend the meeting by invitation / permission only. However, voting rights will be available only to the Members of NRPC.

14. Presiding Authority

- 14.1. The Chairperson, NRPC shall preside over the meeting of NRPC and conduct business. The Member Secretary, NRPC shall assist the Chairperson of NRPC in conducting the meeting. If the Chairperson is unable to be present at the meeting for any reason, the senior member of NRPC from the State utilities present in the meeting shall be requested by Member Secretary to preside over the meeting.
- 14.2. In the absence of Member Secretary, NRPC the next senior most officer of the NRPC Secretariat shall convene the meeting.

15. Recording of the minutes

- 15.1 The minutes of the meeting shall be finalized and circulated to all its members by the Members Secretary, NRPC within 15 working days from the date of the Committee Meeting. The minutes shall also be posted on the website of NRPC.
- The discussions during the meeting shall be Audio recorded and the record shall be kept at the secretariat of NRPC till the confirmation of the minutes. The member organization hosting the meeting shall extend all facilities for audio recording of the proceedings of the meeting.

16. Confirmation of the Minutes

16.1 Minutes of the NRPC meeting shall be placed in the next meeting for confirmation. However, in case of urgency the minutes may be confirmed by circulation.

CHAPTER-III: SUB-COMMITTEES OF NRPC

17. Constitution of Sub-Committees of NRPC

- 17.1. Following Sub-Committees will be constituted by NRPC to guide and assist it in conducting the functions assigned to it:
 - (a) Technical Co-Ordination Sub-Committee (TCC)
 - (b) Operation Co-Ordination Sub-Committee (OCC)
 - (c) Commercial Sub-Committee (CC)
 - (d) Protection Sub-Committee (PC)
 - (e) System Study Sub-Committee
 - (f) LGBR Sub-Committee
 - (g) Telecommunication, SCADA & Telemetry (TeST) Sub-Committee
- 17.2. NRPC or Member Secretary, NRPC or any Sub-Committee may constitute task force, core group for specific purpose from among the members and external experts to advice on any specific issue.

18. Technical Co-Ordination Sub-Committee (TCC)

18.1. Functions:

- 18.1.1. Technical Co-ordination Sub-Committee, shall consider all issues referred by the Operation Co-Ordination Sub-Committee, Commercial Sub-Committee, Protection Sub-Committee, System Study Sub-Committee, LGBR Sub-Committee and TeST Sub-Committee concerning operation of regional grid, commercial aspects, inter-state/ inter-regional transfer of power, grid stability etc. leading to economy and efficiency in the operation of power system in the region.
- 18.1.2. TCC shall implement the decisions of the NRPC and also provide guidance and assist NRPC in discharge of its functions and formulation of policy matters on regional grid operation, grid security, and commercial matters.

18.2. Composition of Technical Co-ordination Sub-Committee:

- 18.2.1. TCC shall be represented by the Technical Members of the NRPC constituents dealing with the Generation / transmission / Distribution and representative from Central Electricity Authority. The representation shall be at the level of Technical Heads in State Utilities, Executive Directors / Chief General Managers or equivalent in PSUs / Technical Heads of Distribution company / Traders / IPPs and Chief Engineer in CEA.
- 18.2.2. Chairperson, NRPC from their concerned State shall appoint the Chairperson of TCC. Chairperson, TCC shall be rotated every year from among the States in the same order as Chairperson of NRPC.

18.3. Meetings:

- 18.3.1. TCC shall meet as and when required, and put up its recommendations to the NRPC.
- 18.3.2. TCC shall meet separately also as and when needed to address urgent issues or specific issues, if any, concerning the operation of regional grid, security of the grid, commercial matters and other issues.
- 18.3.3. The Chairperson of the TCC shall preside over the meeting. In case Chairperson is unable to be present, Member Secretary, NRPC shall request a person among TCC members to preside over the meeting.
- 18.3.4. Member Secretary, NRPC shall assist Chairperson, TCC in conducting TCC Meeting.

19. Operation Co-Ordination Sub-Committee (OCC)

19.1. Functions:

Operation Co-ordination Committee(OCC) shall discuss all issues related to operation of the regional grid viz. estimating availability of power and energy from each power station and demand of each State for the current and next month; drawing up coordinated maintenance schedule for generating units and major transmission lines; reviewing operational discipline and its norms to be observed by constituents; reviewing the operation of Automatic Under-Frequency Relays; discussing system occurrences, if any, during the previous month and reviewing the status of implementation of the recommendations of the Inquiry Committees; monitoring / reviewing violation of provisions of IEGC related to grid operation; discussing / reviewing measures for ensuring economic grid operation including optimisation of energy transfer with other regions; examining possibility of optimising intra-regional energy exchanges; discussing optimisation of energy transfer with other regions; and any other matter referred by the TCC/NRPC.

19.2. Composition of Operation Co-Ordination Committee:

- 19.2.1. OCC shall be represented by the representatives of the constituent members of NRPC. The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers in State Utilities/ General Manager in CPSEs or equivalent level conversant with operational issues.
- 19.2.2. Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the OCC and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the OCC.

19.3. Meetings:

The meeting will be held every month generally before 20th day of that month.

20. Commercial Sub-Committee (CSC):

20.1. Functions:

Commercial Sub-Committee(CSC) shall discuss all commercial related issues viz. energy accounting, schemes required for inclusion in the Bulk Power Supply Agreements, requirement of power from the new projects, installation of special energy meters and its cost sharing, etc., metering aspects, reviewing of the payments towards Regulatory accounts, issues related to transmission charges, commercial issues in inter-state and inter-regional exchange of power, issues concerning settlement of payments among constituents, if any, etc. and any other matter referred by the TCC/NRPC. Commercial Committee shall audit the Regional Energy Accounts and DSM, Reactive Energy and other Pool Accounts.

20.2. Composition of Commercial Sub-Committee (CSC):

- 20.2.1. Commercial sub-committee shall be represented by the representatives of the constituent members of RPC.
- 20.2.2. The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers in State Utilities/ General Manager in CPSEs or equivalent level conversant with commercial issues.
- 20.2.3. Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the CSC and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the CSC.

20.3. Meetings:

The meeting will be held quarterly or as and when required to address the issues of urgent nature.

21. Protection Sub-Committee (PSC)

21.1. Functions:

Protection Sub-Committee (PSC) shall discuss all power system protection related issues viz. analysis of system disturbances in the region, review of protective relaying schemes, relay co-ordination islanding schemes, automatic under frequency load shedding schemes, review of the implementation of recommendations made by the Inquiry Committee of the grid disturbance in the region concerning the above matters, etc. and any other matter referred by the TCC/NRPC.

21.2. Composition of Protection Sub-Committee:

- 21.2.1. Protection Sub-Committee shall be represented by constituent members of NRPC.
- 21.2.2. The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers in State Utilities/ General Manager in CPSEs or equivalent level and concerns with power system protection / testing in the region.

21.2.3. Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the PC and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the PC.

21.3. Meetings:

The meeting will be held quarterly or as and when required to address the issues of urgent nature.

22. System Study Sub-Committee (SSC):

22.1. Functions:

System Study Sub-Committee shall carry out following system studies:

- i. Studies for assessment of the quantum of capacitors required in the region taking into account the expected additions in the generation and transmission systems and the low voltage conditions in the system.
- ii. Studies for review of reactive compensation requirement.
- iii. Operational load flow studies, as and when required, for peak conditions off peak conditions etc.
- iv. Short-circuit studies as and when required.
- v. Transient stability studies for major events like grid disturbances or other issues periodically or as and when requested by the constituent(s).
- vi. System studies related to transmission constraints.
- vii. Studies specific to high / low voltage conditions with specific reference to reactors or capacitors operation / requirement.
- viii. Identification of requirement of reactors as and when required
- ix. Co-relation of protection related issues from Studies as and when required.
- x. Any other technical study referred by the NRPC/TCC.

22.2. Composition Of System Study Sub-Committee:

- 22.2.1. System Study Sub-Committee shall be represented by constituent members of NRPC.
- 22.2.2. The nominated representative shall be at the level of Executive Engineers in State Utilities / Deputy General Manager in CPSEs or equivalent level and conversant with issues related to system studies in the region.
- 22.2.3. Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the SSC and preside over the meetings Superintending Engineer of secretariat shall be convener of this Sub-Committee.

22.3. **Meetings:**

As and when required, as decided by the convener.

23. LGBR Sub-Committee

23.1. Functions:

LGBR Sub-Committee shall carry out the following functions in accordance with the provisions of Indian Electricity Grid Code:

- i. Finalise annual outage plan of generating stations.
- ii. Prepare anticipated power supply position for the next fiscal year.
- iii. Periodic review of annual outage plan of generating stations and anticipated power supply position.

23.2. Composition of LGBR sub-committee:

- 23.2.1. LGBR Sub-Committee shall be represented by constituent members of NRPC.
- 23.2.2. The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers in State Utilities/ General Manager in CPSEs or equivalent level and conversant with issues related to system studies in the region.
- 23.2.3. Member Secretary, NRPC shall be the Chairperson of the LGBR Sub-Committee and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the LGBR Sub-Committee.

23.3. Meetings:

Meetings will be held as and when required to be decided by the convener.

24. Telecommunication, Scada & Telemetry (TeST) Sub-Committee

24.1. Functions:

TeST Sub-Committee shall meet to deliberate upon Telecommunication, SCADA and Telemetry schemes of NR and issues thereon in accordance with the provisions of Indian Electricity Grid Code.

24.2. Composition of TeST Sub-Committee:

- 24.2.1. TeST Sub-Committee shall be represented by constituent members of NRPC.
- 24.2.2. The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers of State Utilities/General Manager of CPSEs or equivalent level and conversant with Telecommunication, SCADA & Telemetry in the region.
- 24.2.3. Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the TeST Sub-Committee and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the TeST Sub-Committee.

24.3. Meetings:

The meeting will be held as and when required to be decided by the convenor.

25. Renewable Energy Sub-Committee (REC)

25.1 Functions:

RE Sub-Committee shall meet to deliberate upon issues related to Renewable Energy resources, its integration in grid, evacuation and other related issues.

25.2 Composition of RE Sub-Committee:

- 25.2.1 RE Sub-Committee shall be represented by all ISTS connected RE generators, state RE generators having capacity 100MW & above, NLDC, NRLDC, CTU, Powergrid, STU and SLDC of RE rich states where REMC is operated.
- 25.2.2 The nominated representative shall be at the level of Chief Engineers of State Utilities/General Manager of CPSEs or equivalent level and conversant with Renewable Energy domain in the region.
- 25.2.3 Member Secretary, NRPC shall be Chairperson of the RE Sub-Committee and preside over the meetings. Superintending Engineer of secretariat shall be convener of the RE Sub-Committee.

25.3 **Meetings:**

25.3.1 The meeting will be held quarterly & as and when required to address the issues of urgent nature.

CHAPTER-IV: PROCEDURE FOR CONDUCTING SUB-COMMITTEE MEETINGS OF NRPC

26. Conducting of Sub-Committee Meetings, issue of Notice, Agenda & its Minutes

- The notice for the above sub-committee meeting shall be issued at least 15 days before the date of meeting and agenda points one week before the meeting by the NRPC Secretariat. However, when the meeting is to be held through video conferencing, this period may be reduced to 10 days and 3 days respectively. The minutes of the meeting shall be finalized by Member Secretary and issued by NRPC Secretariat within 15 working days of the meeting.
- The decision of the Committee arrived at for Operation of the Regional Grid and other above functions shall be implemented by the Constituents. In case the Sub-committee recommends the matter to the TCC / NRPC, for further deliberation or decision, the same shall be referred by NRPC secretariat to TCC/ NRPC.
- The meetings will be conducted at the place and venue preferably located in the Region to be decided by Member Secretary, NRPC. In case the situations are not conducive for physical meetings, the meetings will be conducted through Video Conferencing.
- Meeting may be hosted by the member organizations as decided by Member Secretary, NRPC in consultation with the members of the sub-committee. All the arrangements required for conducting the meeting shall be made by the host member organisation.

CHAPTER-V: Operation of "NRPC-Fund"

27. NAME:

The name of the fund shall be "NRPC-Fund". The fund is accumulated amount of contribution fee collected from constituent members of NRPC.

28. PURPOSE:

- The fund shall be utilized for meeting the reimbursement of the actual expenditure incurred (from budget provided by Central Electricity Authority) by the office of the NRPC Secretariat to the consolidated fund of Govt. of India/CEA through DDO, NRPC;
- ii) The fund shall be utilized for meeting the expenditure in the conduct of NRPC meetings, workshops, seminars etc.;
- iii) The fund shall be utilized to meet any other office expenditure considered necessary by Member Secretary, for efficient working of NRPC Sectt., with the approval of Chairman, NRPC;
- iv) The fund shall be used for meeting expenditure of NRPC Secretariat as per SOP issued by CEA.

29. CONTRIBUTION:

All the Members and rotational members except the following shall contribute equally on annual basis, which shall be decided every year in NRPC meeting based on review of actual expenditure of the previous year and estimated expenditure in current/next year:

- i) NLDC/NRLDC/SLDCs
- ii) Member (Go&D), CEA
- iii) MS, NRPC
- iv) Exempted by MoP

30. OPERATION:

The fund will be maintained with any Nationalized bank in the name of Northern Regional Power Committee (NRPC) and operate jointly by the nodal officer from the Constituent member along with two more signatory to be nominated with the approval of Member Secretary, NRPC on behalf of NRPC Members. The operation of account will be done under the administrative control / supervision of Member Secretary. All transaction from this account shall be through Cheque/NEFT/RTGS only.

31. MAINTENANCE OF ACCOUNTS:

The account of all the expenditure/receipts shall be maintained by the nodal officer (as per para 29 above) on behalf of NRPC Member. Such officer shall also maintain a cash book etc., where in details of all receipts and expenditure shall be recorded.

32. VERIFICATION OF ACCOUNTS:

The "NRPC – Fund" account for each financial year shall be audited as per SOP issued by CEA.

CHAPTER-VI: REPORTS

33. REPORTS BY NRPC

33.1 The following reports shall be prepared and furnished by NRPC secretariat:

S. No.	Name of the report	Periodicity
1	Monthly Progress Report Northern Regional Grid / Operational Data	Monthly
2	Annual Report of NRPC	Annual

CHAPTER-VII: MISCELLANEOUS

34. Saving of inherent Power of the NRPC

- 34.1 Nothing in these Rules shall bar the NRPC from adopting in conformity with the Act a procedure that is at variance with provisions of these Rules, if the NRPC in view of the special circumstances of a matter or class of matters deem it necessary or expedient to deal with such a matter or class of matters.
- 34.2 Nothing in these Rules shall expressly or by implication, bar the NRPC to deal with any mater or exercise any power under the Act for which no Rules have been framed and NRPC may deal with such matters, and functions in a manner it thinks fit.
